राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3107–दो/14 जिला नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एव अभिभाषकों के हस्ताक्षर
02–06–15	यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर प्रकरण कमांक 949/13–14 में पारित आदेश दिनांक निल से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गयी है। 2/ मैने प्रकरण का अवलोकन किया तथा विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक ने कॉलोनीमाइजर का लायसेन्स दिनांक 18–02–2013 का स्वीकृत किया गया है तथा दिनांक 13–08–13 को कृषि भिन्न आशय में भूमि परिवर्तित किये जाने बावत आदेश पारित किया गया है। टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग व्दारा दिनांक 13–08–14 को विधिवत एन ओ सी प्रदान की गयी है। आवेदक व्दारा विद्युत मण्डल, लोक निर्माण विभाग तथा पी एच ई, नजूल तथा नगरपालिका आदि से एन ओ सी प्राप्त की गयी है। उनका तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि कृषि भूमि नहीं है, इसलिये तहसीलदार को प्रकरण सुनने	

2

की अधिकारिता नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि पटवारी व्दारा जो नक्शा देस जारी किया गया है, उसमें रास्ता ही नहीं है, फिर भी तहसीलदार व्दारा रास्ते के आधार पर स्थगन आदेश प्रदान करने में गलती की है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

3/ अनावेदक अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक व्दारा रूढ़िगत रास्ते पर पक्की दीवाल का निर्माण कर रास्ता अवरूध्द किया जा रहा है, इसलिये तहसीलदार व्दारा स्थगन आदेश जारी करने में कोई गलती नहीं की है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

4/ तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट है कि अनावेदक के संहिता की धारा 32 के आवेदनपत्र के आधार पर तहसीलदार, गाडरवारा व्दारा विवादित भूमि पर दीवाल निर्माण एवं शासकीय भूमि पर सड़क निर्माण करने पर तत्काल प्रभाव से स्थगन आदेश दिये हैं, किन्तु तहसीलदार व्दारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आदेश पारित करने के पूर्व ना तो पटवारी/राजस्व निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया और ना ही स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया। आवेदनकर्त्ता अनावेदक जगदीश कुमार के आवेदनपत्र के आधार पर बिना जॉच किये एवं आवेदक प्रकाशचन्द को सुनवायी का अवसर दिये बिना तहसीलदार व्दारा

3

स्थगन आदेश पारित किया गया है जो ना तो विधि संगत है और ना ही नैसर्गिक न्याय सिध्दान्त के अनुसार है। आवेदक व्दारा इस न्यायालय में यह भी आपत्ति प्रस्तुत की गयी है कि प्रश्नाधीन भूमि कृषि भूमि नहीं है, इसलिये तहसीलदार को प्रकरण सुनवायी का क्षेत्राधिकार नहीं है, आवेदक व्दारा अपने स्वत्व की भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु परिवर्तित करायी गयी है और इस पर विधिवत विभिन्न विभागों की अनापत्ति प्रमाणपत्र आदि प्राप्त किये गये हैं, इसलिये तहसीलदार, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर प्रकरण कमांक 949/13–14 में की जा रही कार्यवाही समाप्त की जाती है।

5/ उक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाता है और तहसीलदार का प्रकरण कमांक 949/13–14 में की जा रही कार्यवाही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण समाप्त हों।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य

बीस रुपये TWENTY RUPEES INDIA

प्रि 16-9-14 को
...
16-9-14

न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय,
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियार

R-3107-II/14

श्री प्रकाशचन्द पिता श्री अयोध्याप्रसादजी विश्नोई, आयु 72 वर्ष
निवासी प्रताप वार्ड गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर
———————— प्रार्थी

विरूद्ध

1.श्री जगदीशकुमार पिता बाबुलालजी विश्नोई
निवासी ग्राम पतलोन तेहसील गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर
2.म.प्र. शासन द्वारा तेहसीलदार गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर
———————— प्रतिप्रार्थी

16/9/14

–निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता–
–निगरानी बनाराजगी आदेश दिनांक निल जो प्रकरण कमांक 949/13–14 जावक कमांक 1337/प्रस्तु./तेह./2014 दिनांक 10.07.2014 में न्यायालय श्रीमान् तेहसीलदार महोदय गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर द्वारा पारित किया, हैं, से असंतुष्ट होकर–

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी यह निगरानी आवेदन पत्र न्यायालय श्रीमान् तेहसीलदार महोदय गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर द्वारा प्रकरण कमांक 1949/13–14 में दिनांक 105.07.2014 को जो आदेश स्थगन बावत् पारित किया हैं, उससे असंतुष्ट होकर अन्य आधारो के अतिरिक्त निम्न आधारो पर यह निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हैं –

16-9-14

प्रकरण का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार हैं प्रतिप्रार्थी जो मूल आवेदन पत्र में आवेदक हैं, जगदीश पिता बाबुलालजी विश्नोई द्वारा ग्राम पतलोन पटवारी हल्का नंबर 18/1 स्थित खसरा नंबर 92/47 रकबा 0.984 हैक्टर भूमि से लगी हुई झलकन विश्नोई, दिलीप उर्फ प्रदीप विश्नोई, राजेन्द्र विश्नोई एवं गायत्रीदेवी बेवा चुन्नीलालजी विश्नोई की भूमियॉ कमशः खसरा नंबर 92/47, 02/45, 92/48, 92/46, 92/1, 93/1 एवं 92/49 की भूमियॉ लगी हैं, तथा उक्त भूमियो पर पहुॅचने के लिये एकमात्र रास्ता स्टेशनरोड़ स्थित पावर हाउस एवं शासयकी बालक उच्चत्तर माध्यमिक विघालय के मध्य से लगा हुवा हैं, तथा उसका उपयोग प्रतिप्रार्थी व अन्य कृषक आने जाने के लिये कर रहे हैं, प्रतिप्रार्थी का यह भी कहना हैं कि उक्त रास्तो को खुदवा कर समतल कर दिया गया हैं, तथा काश्तकारी खेतो तक पहुॅचने में बाधा उत्पन्न हो रही हैं !